

न्यायालय-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (उत्तर रेलवे), गाजियाबाद।

वाद संख्या-2778/2022,
सरकार बनाम तुषार आदि,
मु०अ०सं०-286/2022,
धारा-382,411 भा०द०सं० 1860,
थाना-जी०आर०पी०, गाजियाबाद।

दिनांक-08.09.2023

पत्रावली जेल लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त **तुषार पुत्र राजू**, निवासी-सैक्टर-9, थाना-विजयनगर, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की तरफ से जुर्म स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभियुक्त ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन किया है। अभियुक्त की उपरोक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **तुषार पुत्र राजू**, द्वारा स्वेच्छा से की गयी उपरोक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा-382,411 भा०द०सं० 1860, के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्धन व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त बहुत गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त के बुजुर्ग माता पिता है, जो आये दिन बीमार रहते है एवं जो प्रार्थी पर पूर्णतः आश्रित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। अभियुक्त दिनांक-16.10.2022 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

आदेश

अभियुक्त **तुषार पुत्र राजू**, की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा-382, भा०द०सं० 1860, के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये 11 माह के कारावास की सजा व अंकन 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड व धारा-411, भा०द०सं० 1860, के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये 11 माह के कारावास की सजा व अंकन 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को अलग-अलग 2-2 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

दिनांक-08.09.2023

(सुधांशु शेखर उपाध्याय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(उत्तर रेलवे), गाजियाबाद।
J.O. Code -UP 2096